न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 14 / 2024

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2024 / 232

प्रार्थी	विप्रार्थी
1. मुकेश पुत्र घनश्याम कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर	1. अम्बालाल पुत्र रायमल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर 2. नाथी पुत्री भुरा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर 3. प्रेमी पुत्री अमरचन्द कुमावत निवासी जगपुरा तहसील रायपुर 4. पानी पुत्री लेहरू कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर 5. बालुराम पुत्र सुरजमज कुमावत निवासी जगपुरा तहसील रायपुर 6. बाली पुत्री भागीरथ कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर 7. भवरलाल पुत्र अमरचन्द कुमावत निवासी जगपुरा तहसील रायपुर 8. मथरालाल पुत्र अमरचन्द कुमावत निवासी जगपुरा तहसील रायपुर 9. मूलचन्द पिता मोहन कुमावत निवासी जगपुरा तहसील रायपुर 10. मांगीलाल पुत्र अमरचन्द कुमावत निवासी जगपुरा तहसील रायपुर 11. मोहन पुत्र रायमल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर 12. अम्बालाल पुत्र गिरदारी कुमावत निवासी जगपुरा तहसील रायपुर 13. रूक्मनदेवी पुत्र रायमल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर 14. रामेश्वर लाल पुत्र लेहरू कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर 15. लादुलाल पुत्र लेहरू कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर 16. लादी पुत्री सूरजमल कुमावत निवासी जगपुरा तहसील रायपुर 17. सुवा पुत्र छोगा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर 18. सुवालाल पिता भागीरथ कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर 19. कैलाशी पुत्री लेहरू कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर 20. करतुरी पत्नि भागीरथ कुमावत निवासी सुरास फोत उनके वारीस 6, 18, 22 21. कोयली पुत्री अमरचन्द कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर 22. कोयली पुत्री भागीरथ कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर 23. अम्बादेवी पुत्री नंगजी कुमावत निवासी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.जे.) रायपुर

सुरास तहसील रायपुर
24. प्यारा पुत्र हमीर कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर
25. बाली पुत्री जोधा कुमावत निवासी खुटियाखेड़ा तहसील रायपुर
26. भंवरलाल पुत्र नंगजी कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर
27. मथरालाल पुत्र नंगजी कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर
28. रूकमण पुत्री सोहन कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर
29. लक्ष्मी पुत्री शंकर कुमावत निवासी बोराणा का खेड़ा तहसील रायपुर
30. शान्ति पुत्री सोहन कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर
31. सायरी पत्नि सोहन कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर
32. हीरा पुत्र हरू कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर
33. अम्बालाल पुत्र बगतावर कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर
34. केशर पुत्री शंकर कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर
35. केशरलाल पुत्र जोधा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर
36. कृष्णगोपाल पुत्र सोहन कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर
37. खेमचन्द पुत्र बगतावर कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर
38. गोपाल पुत्र शंकर कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर
39. चुन्नी पत्नि जोधा कुमावत निवासी सुरास फोत के बजाय वारीस 25, 35
40. नेनुदेवी पत्नि शंकर कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर
41. गणेश पुत्र मोहन कुमावत निवासी जगपुरा तहसील रायपुर
42. देउ पत्नि लेहरू कुमावत निवासी सुरास फोत के बजाय वारीस 4, 14, 15
43. मूलचन्द पुत्र मोहन कुमावत निवासी जगपुरा तहसील रायपुर
44. चन्दरीदेवी पुत्री रायमल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. राजुलाल नायक, प्रार्थी अधिवक्ता
2. हरिश चन्द टेलर अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1, 5, 7 से 15 तक, 17, 18, 41, 43, 44
3. विप्रार्थी संख्या 2 से 4, 6, 16, 19, 21 से 38, 40 एकपक्षीय

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

–: निर्णय :–

दिनांक :– 6/1/26

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है, कि राजस्व ग्राम जगपुरा पटवार हल्का सगरेव के हल्का में प्रार्थी के हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 39 रकबा 1.13 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 128 पर दर्ज रेकार्ड हैं। प्रमाण में जमावन्दी मय नक्शा ट्रेस पेश है। प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 39 रकबा 1.13 है0 में सदैव से आवागमन पैदल, संज बैल, ट्रेक्टर पालतु जानवार आदि प्रार्थी की आराजी संख्या 39 के पूर्वी दिशा मे स्थित मुख्य डामरीकृत करेड़ा रोड से अप्रार्थियो की आराजी संख्या 251 व 40 के मध्य की पाली से होकर रास्ते से अपनी उक्त कृषि आराजियात में प्रार्थी व उसके परिवार जन 100 वर्षो से उपयोग उपभोग कर अपनी कृषि आराजियात में आवागमन करते चले आ रहे है। रास्ता मौके पर मौजुद है। इसके अलावा काई अन्य रास्ता मौजुद नही है। उक्त रास्ते के आवागमन हेतु अप्रार्थीगण दखल देते है और बन्द करने पर आमादा है।

02. अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की कृषि आराजियात आराजी संख्या 39 रकबा 1.13 है0 भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थी की आराजी संख्या 39 के पर्वी दिशा कि तरफ मुख्य करेड़ा रोड तक अप्रार्थियो की आराजियात संख्या 251 व 40 के मध्य पाली पर 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की कृषि आराजियात तक राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाये।

03. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 से 4, 6, 16, 19, 21 से 38, 40 सम्यक तामील होने के बावजूद उपस्थित नही होने से दिनांक 01.04.2025 को एकतरफा कार्यवाही की गई एवं विप्रार्थी संख्या 1, 5, 7 से 15 तक, 17, 18, 41, 43, 44 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिश चन्द्र टेलर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं तहसीलदार रायपुर ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल हैं।

04. विप्रार्थी संख्या 1, 5, 7 से 15 तक, 17, 18, 41, 43, 44 की ओर से जवाग प्रस्तुत किया जिसमें अंकन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 सही होना स्वीकार है। प्रार्थी अपनी आराजी में संज, बैल, गाड़ी आदि सहित आवागमन आराजी संख्या 251 व 40 के मध्य नही किया है। प्रार्थी द्वारा बताये गये रास्ते के अनुसार कोई रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 251 में मौजुद ही नही है। प्रार्थी की आराजियात में आवागमन करने का रास्ता अलग से मौजुद है। प्रार्थी को उक्त कृषि आराजियात आवासीय कॉलोनी सम्परिवर्तन करने का अधिकार ही नही है। धारा 251ए में वर्णित प्रावधान अनुसार कोई भी व्यक्ति आवासीय आबादी या अन्य गैर कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता किसी व्यक्ति की कृषि भूमि में नही मांग सकता है। धारा 251ए में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति की कृषि आराजियात में आवागमन हेतु किसी अन्य की कृषि जोत मे से रास्ता डिमाण्ड किया जा सकता है। विपक्षीगण की आराजी संख्या 251 में कोई रास्ता मौजुद नही है। न ही प्रार्थी ने कभी भी आराजी संख्या 251 में आवागमन किया हो। अन्य विपक्षीगण की आराजी संख्या 40 मे रास्ता छूटा हुआ है। प्रार्थी ने छूटे हुए रास्ते पर 15 फीट चौड़ी फाटक लगा रखी है। प्रार्थी सुविधा और आवासीय कॉलोनी हेतु सन्तुलन के रास्ता चाहता है। प्रार्थी द्वारा बताया गया

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता का रास्ता नही है। रास्ता जब मौके पर मौजुद कोई नया रास्ता कायम कराना कानूनन अधिकार नही है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थी व विपक्षी ग्राम सुरास के निवासी है। ग्राम सुरास के खेल मैदान के पास स्थित 15 से 20 फीट चौड़े रास्ते से होकर वर्षो पुराने रास्ते से आवागमन कर रहा है। उक्त रास्ता अन्य विपक्षीगण की आराजी संख्या 38 की दक्षिणी पाली पर स्थित 15 फीट चौडाई में स्थित है, जिसको आराजी संख्या 40 के खातेदार भी आवागमन कर रहे है। उक्त रास्ता ग्राम से ही अन्तिम छोर करेड़ा जाने वाली डामरीकृत सड़क तक छूटा हूआ है जिससे प्रार्थी व अन्य खातेदारान ग्राम सुरास से आवागमन कर रहे है। प्रार्थी ग्राम सुरास से सीधा उनके खेत मे नही जाकर ग्राम सुरास चौराहे पर आकर फिर करेड़ा जाने वाली सड़क से होकर उसके खेतो में आवागमन करना चाहता है, तो ग्राम जगपुरा की आराजी संख्या 250 व 40 होकर अन्य विपक्षीगण की आराजी संख्या 40 की दक्षिणी पाली पर 15 फीट चौड़ाई में स्थित रास्ता जिसके दोनो तरफ कच्चे पत्थरो की दीवार हो रखी है, से आवागमन कर रहा है और इसी रास्ते से प्रार्थी द्वारा आगे 15 फीट लोहे की फाटक लगा रखी है। इस प्रकार से प्रार्थी के पास मौके पर 2 रास्ते मौजुद है, जिससे प्रार्थी आवागमन कर रहा है। प्रार्थी द्वारा बताया गया रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता का रास्ता नही है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज होने योग्य है।

05. न्यायालय नें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। तहसीलदार रायपुर ने जरिए पत्रांक/राजस्व/1037 दिनांक 15.09.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार :–

i. यह है कि प्रार्थी मुकेश पुत्र घनश्याम कुमावत निवासी सुरास की खातेदारी भूमि ग्राम जगपुरा के आराजी संख्या 39 रकबा 1.13 है0 में आवागमन हेतु मौके पर ग्राम रायपुर से करेड़ा जाने वाली सड़क आराजी संख्या 41 रकबा 0.17 है0 किस्म गै.मु. सड़क खातेदारी से आराजी संख्या 40 रकबा 1.10 है0, की दक्षिणी सीमा पर 12 फीट चौड़ा रास्ता बना हुआ है जो रिकॉर्ड में दर्ज नही है जिससे आवागमन किया जा रहा है।

ii. मौके पर रास्ता चालु है।

iii. मौके पर उक्त विवादित रास्ता के अलावा कोई अन्य रेकार्ड में रास्ता नही है।

iv. वर्तमान में आराजी संख्या 39 में आराजी संख्या 41, 40 मे मौके पर स्थित रास्ते से आवागमन किया जा रहा है। मौके पर सड़क से आराजी संख्या 40 के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर व आराजी संख्या 39, 29 की उत्तरी सीमा पर 12 फीट चोड़ा रास्ता बना हुआ है जो ग्राम सुरास सीधा जाता है जो रेकॉर्ड में दर्ज नही है।

v. प्रस्तावित रास्ते की भूमि डीएलसी दर निम्नानुसार है :–

क्र. स.	नाम ग्राम	आराजी संख्या	कुल रकबा है0	रास्ते हेतु प्रस्तावित		भूमि की डीएलसीदर	भूमि की कीमत	भूमि की दुगुनी कीमत
				ल.Xचौ.	क्षैत्रफल			
1	जगपुरा	40	1.10	46.X4.5	207 वर्गमीटर	95 रूपये प्रति वर्गमी.	19665	39330
2	जगपुरा	41	0.17	10.X4.5	45 वर्गमीटर	95 रूपये प्रति वर्गमी.	4275	8550

vi. प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से एवं वैकल्पिक रास्ता हरी स्याही से दर्शाया गया है एवं नजरी नक्शा संलग्न है।

vii. यह कि वैकल्पिक रास्ता आराजी संख्या 251 की उत्तरी सीमा पर हो सकता हैं। प्रार्थी द्वारा 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा है। नियमानुसार 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित है।

06. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी आराजी संख्या 39 के लिए रास्ता चाहा है। प्रार्थी आराजी के पूर्वी दिशा मे आराजी संख्या 251 व 40 से आवागमन होता आ रहा है। आराजी संख्या 251 व 40 के मध्य पाली से रास्ता 30 फीट चौड़ा चाहा गया है। मौका रिपोर्ट में ना वैकल्पिक रास्ता ना मौके पर कोई रास्ता है। आत्यन्तिक आवश्यकता का रास्ता है सुखाचार के लिए नही है। रास्ता रेकार्ड में दर्ज करे।

07. विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रास्ते की चौड़ाई का कही भी वर्णन नही है। प्रार्थना पत्र में 100 वर्षो से अधिक पुराना रास्ता बताया गया जबकि प्रार्थी 35 वर्ष का ही है। प्रार्थी सुरास का निवासी है रास्ता सुरास की तरफ से चाहिए। वैकल्पिक रास्ता बताया गया है एवं मौके पर उक्त रास्ता चालु है, परन्तु रेकार्ड में दर्ज नही है मौका रिपोर्ट के अनुसार। प्रार्थी व विप्रार्थी रास्ते से आवागमन करते है। आराज़ी की पहुँच तक 12 फीट चौडाई में रास्ता मौजुद है। मौका पर वैकल्पिक रास्ते में अवरोध का उल्लेख नही है। आराजी संख्या 40 में भी 12 फीट चौड़ा रास्ता है जो रेकार्ड में दर्ज नही है इसी से आवागमन हो रहा है। 30 फीट चौड़ा रास्ता सम्परिवर्तन के लिए चाहा गया है। आराजी संख्या 251 में न रास्ता है और न मौका रिपोर्ट में चालु बताया है। 30 फीट रास्ते की आवश्यकता नही है। प्रार्थी रास्ते की भूमि को खरीद सकता है क्योंकि उपयोग अन्य कारण से प्रस्तावित है।

08. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि विप्रार्थी की आराजी संख्या 40 में जवाब में 15 फीट चौड़ा रास्ता बताया गया है जबकि बहस में 12 फीट चौड़ा रास्ता बताया गया है। प्रार्थना पत्र में 30 फीट रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी व उसके परिवार जन कई वर्षो से आवागमन उक्त रास्ते से कर रहे है। आराजी संख्या 40 में कोई कोट नही है। भविष्य को देखते हुए 30 फीट चौड़ा रास्ता आवश्यक है।

09. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु न्यायालय धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझता है, जिसके अनुसारः–

धारा 251क– <u>अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना</u> :– (1) जहॉ –

ख कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, –

सहायक कलक्टर

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पाता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी अपनी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

iii. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

iv. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

9. चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत आराजी संख्या 39 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं, अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है। विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते का रकबा 0.0252 है0 बनता हैं, जो खसरा संख्या 40, 41 में होकर गुजरता है तथा प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प बताया है, इसके अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। मौके पर रास्ता बना हुआ है एवं वर्तमान में चालु है। प्रार्थी व अन्य खातेदरान इसी रास्ते आवगामन कर रहे है। उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित रास्ता उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता हैं।

11. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वांछित रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है,अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं,जिसके अनुसारः–

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के

उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकार लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा संलग्न नक्शा अनुसार आराजीह संख्या 40 में प्रस्तावित रास्ता 15 फीट चौड़ाई का कुल रकबा 0.0207 है0 है। प्रार्थी को अपनी कृषि आराजियात में आवागमन के लिए रास्ता की आवश्यता है। प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन में संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि से किया जाता है जो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है। प्रार्थी को उक्त साधन के आवागमन के लिए 15 फीट चौड़ाई में रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थी द्वारा आवागमन किया जा सकेगा। प्रार्थी की अपनी कृषि आराजियात में आवागमन हेतु 15 फीट चौड़ाई का कुल रकबा 0.0207 है भूमि की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर–950000 रूपये प्रति हैक्टयर के अनुसार प्रतिकर हेतु दुगूनी देय राशि– 39330/–रूपये बनती है, जिसको प्रार्थी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है, अतः न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

–: आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है, तथा ग्राम जगपुरा पटवार हल्का सगरेव के आ.स. 39 रकबा 1.13 है0 भूमि में पहुंच हेतु खसरा संख्या 40 रकबा 1.10 है0 मे से 4.5 मीटर चौड़ा व 46 मीटर लम्बाई में रकबा 0.0207 है0, भूमि संलग्न नक्शानुसार 15 फीट चौड़ाई में सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार रायपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 39330/–(अक्षरे उनचालीस हजार तीन सौ तीस) रूपयें की राशि राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाए जाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(करूणा लाडोती)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6/12/26 को सार–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा